दिनांक-26फरवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

सड़े गले मांस विक्रय करते पाए जाने पर जप्त की गई सामग्री एवं लगाया गया जुर्माना , राजेंद्र प्रसाद चौक के पास किराना स्टोर से बड़ी मात्रा में डिस्पोजल गिलास जप्त कर लगाया 5000 रुपए जुर्माना भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने सुपेला, वार्ड 06, राजेन्द्र प्रसाद चौक, आकाश गंगा, दक्षिण गंगोत्री, तीन दर्शन मंदिर , नेहरू नगर चौक , वार्ड 21 के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास व कैरी बैग का विक्रय करने, बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 19700 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास विक्रय करने वालों व सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालो का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। नगर पालिक निगम , भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने भिलाई अभियान चला रही है! शासन के निर्देशानुसार सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंध लगा हुआ है।

जनसम्पर्क अधिकारी